न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1069/2021

अनवान : –

1. भंवर लाल पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल प्रतिवादी

2. चावली पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. सुखमा पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. केशर देवी पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. लिछमा पुत्री हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. अमरी देवी पुत्री हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. हीराराम पुत्र हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. बाबुलाल पुत्र हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. रेशमी देवी (फौत) पुत्री हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

    10/1. रेवताराम पुत्र रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

    10/2. हुणताराम पुत्र रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

    10/3. चंदा पुत्री रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

11. मुली देवी (फौत) पुत्री हनुमान

    11/1. लक्ष्मी देवी पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

    11/2. सोना पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

    11/3. सुगणा पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

    11/4. मंजु पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

    11/5. सुनीता पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

    11/6. मोनीका पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : – श्री [illegible] कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

[illegible]

निर्णय

दिनांक [illegible] 01/01/24

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खसरा न0 323 की 3.971 हैक्ट व खसरा न0 324 की .7080 हैक्ट, खसरा न0 339 की 1.5800 हैक्ट, खसरा न0 341 की 3.5420 हैक्ट भूमि खसरा न0 342 की .2650 हैक्ट भूमि कुल 10.0660 हैक्ट भूमि दिनांक 13.09.1975 को भूमिहीन काश्तकार होने के कारण हनुमान पुत्र नन्दराम जाति मेघवाल निवासी देवासर को आवंटन हुई थी। आवंटन दिनांक 13.09.1975 के आधार पर वादी को अलोट होकर रूपान्तरण संख्या 02 से गैर खातेदारी भूमि दर्ज हुई। आवंटन बारानी भूमि का हुआ था बारानी भूमि के आवंटन में शर्तो के मुताबिक 10 साल स्वत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का प्रावधान है। लेकिन विवादित भूमि आज भी वादी के पिता नाम गैर खातेदारी दर्ज है।

वादी के पिता हनुमान पुत्र नन्दराम का देहान्त हो चुका है। जिसके जायज वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11/6 है। हनुमान पुत्र नन्दराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो बाद ही हनुमान पुत्र नन्दराम नियमानुसार खातेदार हो गये थे लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी गैरखातेदार दर्ज है। जिससे वादीगण के खातेदारी हको का हनन हो रहा है। वादीगण उनके पूर्वजों को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदारी काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खसरा न0 323 की 3.971 हैक्ट व खसरा न0 324 की .7080 हैक्ट, खसरा न0 339 की 1.5800 हैक्ट, खसरा न0 341 की 3.5420 हैक्ट भूमि खसरा न0 342 की .2650 हैक्ट भूमि कुल 10.0660 हैक्ट भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11/6 को खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।

उपरोक्त वाद भूमि वादी के उसी समय से लेकर आज तक निर्वाधान रूप से कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना करते आ रहे है। जबकि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को काफी मर्तबा आवंटित भूमि को लगभग 45 वर्षो से अधिक समय हो चूका है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 को स्वत ही खातेदार काश्तकार घेाषित करे लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे लेकिन अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 पेश किया जो की स्वीकार करने के उपरांत अधिवक्ता वादी ने संशोधित शिर्षक व संशोधित दावा पेश किया। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11/6 [illegible] ने तर्क अंकित किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी [illegible] संख्या 366/356 प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति आवंटन पटटा [illegible] 230 प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रतिलिपी नामान्तरण संख्या 2 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत 2039 से सम्वत 2076 तक व खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 से 2077

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तक गिरदावरी प्रस्तुत की एवं वारिसों के संबध में सरपंच ग्राम पंचायत कानसर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–4, मृत्यु प्रमाण पत्र हनुमान पुत्र नन्दराम प्रदर्श 5 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र गौरादेवी प्रदर्श 6 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र रेशमी प्रदर्श–7 ए आदि प्रदर्शित करवाये। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के संबंध में जवाब पेश कि वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान राजस्व में वाद भूमि उपनिवेशन के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जवाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एवं प्रतिवादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

वादी के अधिवक्ता ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खसरा न0 323 की 3.971 हैक्ट व खसरा न0 324 की .7080 हैक्ट, खसरा न0 339 की 1.5800 हैक्ट, खसरा न0 341 की 3.5420 हैक्ट भूमि खसरा न0 342 की .2650 हैक्ट भूमि कुल 10.0660 हैक्ट भूमि वादी के पिता को आवंटन हुयी थी। आवंटन भूमि आज भी वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11/6 के कब्जा काश्त में निर्विवाद रूप से चली आ रही है। पटटा संख्या 230 से उक्त वाद भूमि वादी के पिता को आवंटित हुयी पैमाईश के हाल खसरा न0 323 की 3.971 हैक्ट व खसरा न0 324 की .7080 हैक्ट, खसरा न0 339 की 1.5800 हैक्ट, खसरा न0 341 की 3.5420 हैक्ट भूमि खसरा न0 342 की .2650 हैक्ट भूमि कुल 10.0660 हैक्ट भूमि परिवर्तन हो चुकी है जिसका नामान्तरण संख्या 2 दर्ज व मंजुर हुआ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खसरा न0 323 की 3.971 हैक्ट व खसरा न0 324 की .7080 हैक्ट, खसरा न0 339 की 1.5800 हैक्ट, खसरा न0 341 की 3.5420 हैक्ट भूमि खसरा न0 342 की .2650 हैक्ट भूमि कुल 10.0660 हैक्ट भूमि दिनांक 13.09.1975 को भूमिहीन काश्तकार होने के कारण हनुमान पुत्र नन्दराम जाति मेघवाल निवासी देवासर को आवंटन हुई थी। आवंटन दिनांक 13.09.1975 के आधार पर वादी को अलोट होकर रूपान्तरण संख्या 02 से गैर खातेदारी भूमि दर्ज हुई। उक्त भूमि आवंटन के समय से वादीगण के पूर्वजों एवं उनके देहान्त के बाद वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने अपने [illegible] अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षेत्रों में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खसरा न0 323 की 3.971 हैक्ट व खसरा न0 324 की .7080 हैक्ट, खसरा न0 339 की 1.5800 हैक्ट, खसरा न0 341 की 3.5420 हैक्ट भूमि खसरा न0 342 की .2650 हैक्ट भूमि कुल 10.0660 हैक्ट भूमि हनुमान पुत्र नन्दराम जाति मेघवाल निवासी देवासर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न आवंटन संबंधी साक्ष्यों में आवंटन आदेश दिनांक 17.06.69 की सत्यापित प्रति के अनुसार खसरा न0 189 की 40 बीघा 2 बिस्वा भूमि आवंटन होना साबित है। तत्पश्चात बंदोबस्त के बाद उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश कमांक 1292 दिनांक 13.09.1974 की पालना में ग्राम देवासर का इंतकाल न0 2 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरण के कॉलम न0 16 में साबिका खसरा न0 189 की 40 बीघा 2 बिस्वा भूमि 10 साला आवंटन मानी जाकर वर्तमान सिवाय चक खसरा न0 324 की 2.16 बिस्वा, 324 की 15 बीघा 19 बिस्वा, 339 की 6 बीघा 5 बिस्वा, 341 की 14 बीघा, 342 की 1 बिघा 1 बिस्वा कुल 39 बिघा 16 बिस्वा भूमि बहुकम एसडीओ नोहर कमांक 1292 दिनांक 13.09.1974 की पालना में हनुमान वल्द नन्नदरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज की जानी अंकित है। बन्दोबस्त के पश्चात खसरा गिरदावरी में उक्त खसरा नम्बरान की कुल 39 बीघा 16 बिस्वा भूमि लगातार आवंटी के नाम गैर खातेदारी चली आ रही है। इस प्रकार आवंटन से लेकर आज तक अनवरत रूप से आवंटी का कब्जा काश्त साबित होता है।

वाद भूमि हनुमान पुत्र नन्दराम के वारिसान के कब्जा के संबंध में पेरोकार राज द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त वाद भूमि पर वादी का ही कब्जा है बाबत अवगत करवाया गया है। वादी का कथन है कि हनुमान पुत्र नन्दराम को आवंटन के तीन वर्ष बाद ही खातेदारी काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिए था।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के दादा को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में हनुमान पुत्र नन्दराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

वर्तमान में ग्राम देवासर कॉलोनाईजेशन क्षेत्र घोषत हो चुका है ऐसे बारानी गांव जिनमें कृषि भूमि आवंटन नियम 1957/1970 के तहत भूमि आवंटीत हुयी थी तथा जो अब आईजीएनपी परियोजना में शामिल कर ली गयी है

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में परिपत्र/अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिए सहमत भी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी है इस प्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्राप्त करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(2)COI/2005 जयुपर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी है उसके खातेदारी अधिकारों के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है आईजीएनपी में खातेदारी 3 वर्ष देने का प्रावधान भी है किंतु 1000 रूपये अतिरिक्त प्रति बिघा प्रिमियम राशि जमा करवाने पर तुरंत खातेदारी दर्ज करने के प्रावधान भी है। अधिसूचना दिनांक 28.05.2017 निम्नानुसार है:–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revene (Allotment of Land for agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Sheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of the general allotment in one installement."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नही किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पटटा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदार को भी सम्मलित माना जाकर कार्यवाही की जावे ।

इस प्रकार भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता हनुमान पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी देवासर रोही मौजा देवासर के खसरा न0 189 की 40 बीघा 2 बिस्वा भूमि 10 साला आवंटन मानी जाकर वर्तमान सिवाय चक खसरा न0 324 की 2.16 बिस्वा, 324 की 15 बीघा 19 बिस्वा, 339 की 6 बीघा 5 बिस्वा, 341

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 14 बीघा, 342 की 1 बिघा 1 बिस्वा कुल 39 बिघा 16 बिस्वा भूमि बहुकम एसडीओ नोहर क्रमांक 1292 दिनांक 13.09.1974 की पालना में हनुमान वल्द नन्नदरा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है जो की उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

आवंटी हनुमान पुत्र नन्दरा जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर जो अनुसूचित जाति वर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। आवंटी द्वारा प्रस्तुत घोषणात्मक वाद में खातेदारी अधिकार की घोषणा चाही गयी है। मूल आवंटी की मृत्यु दिनांक 12.01.2023 को हो चुकी है तथा मूल आवंटी के विधिक वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 11/6 है जो पत्रावली पर मौजूद है एवं सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वादी द्वारा सदस्य प्रमाण भी पेश किया गया है। आवंटी के समस्त अधिकार उसके विधिक वारिसान में अंतरित होने है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खसरा न0 323 की 3.971 हैक्ट व खसरा न0 324 की .7080 हैक्ट, खसरा न0 339 की 1.5800 हैक्ट, खसरा न0 341 की 3.5420 हैक्ट भूमि खसरा न0 342 की .2650 हैक्ट भूमि कुल 10.0660 हैक्ट भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीघा का 10 प्रतिशत 200/– प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद तथा एक हजार रूपये प्रतिबिघा प्रमियम की अतिरिक्त राशि जमा होने के बाद हनुमान पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में गैर खातेदार की बजाय वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 को 9/11 हिस्सा भूमि बहिब व 1/11 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 10/1 ता 10/3 एवं 1/11 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 11/1 ता 11/6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबंदी संशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1069/2021
अनवान : –

1. भंवर लाल पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–असल प्रतिवादी

2. चावली पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. सुखमा पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. केशर देवी पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. लिछमा पुत्री हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
7. अमरी देवी पुत्री हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
8. हीराराम पुत्र हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
9. बाबुलाल पुत्र हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
10. रेशमी देवी (फौत) पुत्री हनुमान हनुमान जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
    10/1. रेवताराम पुत्र रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
    10/2. हुणताराम पुत्र रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
    10/3. चंदा पुत्री रेशमी देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
11. मुली देवी (फौत) पुत्री हनुमान
    11/1. लक्ष्मी देवी पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
    11/2. सोना पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
    11/3. सुगणा पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
    11/4. मंजु पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
    11/5. सुनीता पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।
    11/6. मोनीका पुत्री मुली देवी जाति मेघवाल निवासी देवासर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1069 सन 2021 निर्णय दिनांक 01/01/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिक[illegible]हायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एव[illegible] निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार प[illegible] साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर तहसील नोहर के खसरा न0 323 की 3.971 हैक्ट व खसरा न0 324 की .7080 हैक्ट, खसरा न0 339 की 1.5800 हैक्ट, खसरा न0 341 की 3.5420 हैक्ट भूमि खसरा न0 342 की .2650 हैक्ट भूमि कुल 10.0660 हैक्ट भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीघा का 10 प्रतिशत 200/– प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद तथा एक हजार रूपये प्रतिबिघा प्रमियम की अतिरिक्त राशि जमा होने के बाद हनुमान पुत्र नन्दराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में गैर खातेदार की बजाय वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 को 9/11 हिस्सा भूमि बहिब व 1/11 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 10/1 ता 10/3 एवं 1/11 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 11/1 ता 11/6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबंदी संशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.30 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested